न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/248

1. कन्या बाई पुत्री हीरा पत्नी चतुर्भज जाति भोपा निवासी ग्राम काठोन तहसील कनवास हाल निवास ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. प्रेमबाई पुत्री हीरा पत्नी रामजीलाल जाति भोपा निवासी ग्राम काठोन तहसील कनवास हाल निवास ढाणी मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रामस्वरूप आत्मज हीरा जाति भोपा निवासी ग्राम काठोन तहसील कनवास हाल निवास मकान नम्बर 133 खटीक मोहल्ला सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
4. किशनचंद आत्मज कान्हा जाति मेहर,
5. मुकेश कुमार मेहरा आत्मज कन्हैयालाल मेहरा जाति मेहर,
6. बलराम आत्मज कन्हैयालाल जाति मेहर,
7. दीपक मेहरा आत्मज जोधराज मेहरा जाति मेहर, निवासीगण ग्राम चड़ावद तहसील कनवास जिला कोटा (राज०)

–अपीलांटगण

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज नाथूलाल सेन निवासी हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा (राज०)
2. बद्रीलाल आत्मज हीरा जाति भोपा निवासी ग्राम काठोन तहसील कनवास हाल निवास सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
3. कैलाश बाई पुत्री हीरा पत्नी भारतसिंह जाति भोपा निवासी ग्राम काठोन तहसील कनवास हाल निवास मकान नम्बर 79 वार्ड नम्बर 15 भोजपुर जिला भोजपुर मध्यप्रदेश,
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज०)

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3.श्री धीरेन्द्र मालव, रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से ।
4.श्री रामचरण मीना, रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से ।

अपील संख्या 2024/248
कन्या बाई बनाम जानकीलाल वगै0

निर्णय **दिनांक: 28.03.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 04/2022 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी जानकीलाल पुत्र नाथूलाल सेन निवासी हरिपुरा तहसील कनवास के खाते में ग्राम चड़ावद तहसील कनवास में खसरा नम्बर 162/344 की 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 की 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 की 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 की रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 294 की भूमि पर सदैव से आने जाने का रास्त अप्रार्थी के खाते के खेत खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.97 हैक्टेयर में होकर रहा है। जिसे अप्रार्थी द्वारा रोक दिया गया है। अन्त में प्रार्थी का रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2023 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 295 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को योग्य अधिनस्थ न्याायालय के उक्त आदेश जैर अपील की पूर्व मे कोई जानकारी नहीं हो सकी सर्व प्रथम, दिनांक 03.09.2024 को रेस्पो० नम्बर–1 द्वारा अपीलांटगण की आराजी पर आकर जबरदस्ती रास्ता निकालने की कहने पर तथा मना करने पर गाली गलोच करने व न्यायालय के आदेश की बात कहने पर अपीलाण्टस् द्वारा दिनांक 04.09.2024 को पूर्ण जानकारी कर अधिनस्थ न्यायालय मे उसी दिनांक को नकल प्रार्थना–पत्र पेश कर दिनांक 05.09.2024 को नकल आदेश दिनांक 01.02.2023 प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर रूपयों की व्यवस्था करके अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने मे जो देरी हुई है, प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नही की गई है, जो एक न्याय हित मे, दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 03.09. 2024 तक की अवधि कण्डोन किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 01. 02.2023 से दिनांक 03.09.2024 तक की अवधि को न्याय हित मे कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील मे सुनवाई की आज्ञा प्रदान करें। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण योग्य अधिनस्थ न्यायालय के आदेश सें प्रभावित है, कारण कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की खसरा नम्बर 295 की आराजी ग्राम चड़ावद तहसील कनवास जिला कोटा पर रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार है, तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध इस सम्माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करना चाहते है । प्रार्थीगण को प्रभावित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्त में

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी के हितबद्ध सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार को पक्षकार नही बनाये जाने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम चड़ावद तहसील कनवास की खसरा नम्बर 294 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 295 मे से रास्ता देने में भारी कानूनी त्रुटि की है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि सक्षम पक्षकार के अभाव मे उक्त प्रार्थना–पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नही था, फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है।प्रार्थी रेस्पोण्डेन्ट कम–1 खसरा नम्बर 294 का तन्हा खातेदार नही होकर संयुक्त खातेदार है, तथा खसरा नम्बर 295 के तत्कालीन खातेदार हीरा पुत्र श्योचंद थे, तथा माननीय न्यायालय ने जिस दिनांक 01.02.2023 को निर्णय दिया उस वक्त अपीलाण्ट 1 लगायत 3 व रेस्पो० क्रम 2 व 3 खातेदार नही थे, तथा बिना खातेदार दर्ज किये तथा बिना सक्षम संयुक्त खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना उक्त आदेश जारी करने में कानूनी त्रुटि की है। धारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एक तन्हा खातेदार अपनी आराजी पर आने जाने हेतु किसी अन्य तन्हा खातेदार से ही रास्ते की मांग कर सकता है। न कि संयुक्त खाते की आराजी पर अन्य संयुक्त खाते की आराजी से और वह भी जब प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो। यहां पर विशेष रूप से यह निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० कम–4 से रिपोर्ट मंगवाये बिना तथा राजस्व रिकार्ड अभिलेखों का अवलोकन किये बिना अपीलांटगण व रेस्पो० कम 2 व 3 की आराजी मे से रास्ता देने में भारी कानूनी त्रुटि की है। प्रार्थी–रेस्पो० कम–1 ने तथ्य छुपाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना–पत्र पेश किया है, क्योंकि खसरा नम्बर 295 में से होकर जाने का कभी कोई रास्ता ही नही रहा, अपितु प्रार्थी खाता संख्या–10 में खसरा नम्बर 294 सहित अन्य खसरा नम्बरान का संयुक्त खातेदार है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 294 सें लगवा खाता संख्या 22 की खसरा नम्बर 280 रकबा 0.50 हैक्टयर का भी संयुक्त खातेदार है, तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 280 से लगवां खसरा नम्बर 278 व 278/1 खाता संख्या–1 सिवायचक खाता सरकार स्थित है। तथा इन खसरा नम्बरान पर आने जाने हेतु खाता संख्या–1 सरकार खसरा नम्बर 296 रकबा 0.25 गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध है, तथा दर्ज रिकार्ड है, उक्त रास्ते का प्रार्थी रेस्पो० कम 1 व अन्य सह खातेदारान पूर्व से ही उपयोग व उपभोग रास्ते के रूप में करते चले आ रहे है। लेकिन प्रार्थी ने जानबूझकर अपीलाण्टस् व रेस्पो० कम–2 व 3 के हितो के विरूद्ध जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विधि विरुद्ध निर्णय पारित करवाने एवं न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों व कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से रेस्पो० नम्बर 2 की सहमति के तथ्य के बारे मे आलेखित किया गया है, जबकि जिस दिनांक को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया उक्त दिनांक को अपीलांट 1 लगायत 3 व रेस्पो० नम्बर 2 व 3 अधिकृत सक्षम खातेदार नहीं थे। और उक्त तिथी को सहमति देने हेतु अधिकृत नहीं थे, कानून हीरा आत्मज श्योचंद के समस्त विधिक वारिसों को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्तनीय था, लैकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट संख्या 4 लगायत 7. ग्राम चड़ावद तहसील कनवास की आराजी खाता संख्या–76, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.97 हैक्टयर में 5/32–5/32 के रिकार्डेड सयुक्त खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1049, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1165, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1053, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1169, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 486, ए. आई.आर. 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 3779 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 निरस्त किए जाने एंव रेस्पोडेण्ट नं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रारंभ से ही जानकारी रही है इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा प्रश्नगत निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2023 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खाते की खसरा नम्बर 295

अपील संख्या 2024/248
कन्या बाई बनाम जानकीलाल वगै0

की भूमि में से रास्ता कायम किया गया है तथा अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 295 की भूमि हीरा पुत्र श्योचन्द की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 हीरा के वारिसान है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की भूमि खसरा नम्बर 294 में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वांछित रास्ते की स्थिति का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं किया गया है अतः यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खाते की भूमि में किस रास्ते से आता जाता है। साथ ही मौके पर रास्ता विद्यमान है अथवा नहीं इसका भी अंकन प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.2023 में खसरा नम्बर 295 की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का आदेश अंकित किया है। खसरा नम्बर 295 की भूमि हीरा पुत्र श्योचन्द की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार हीरा पुत्र श्योचन्द की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 हीरा के वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक सहमति–पत्र संलग्न है जिसमें सहमतिकर्तागण द्वारा अपने पिता हीरा पुत्र श्योचन्द की मृत्यु होने तथा स्वयं को मृतक हीरा के वारिसान होने का कथन अंकित किया गया है। अतः खातेदार हीरा के मृतक होने का तथ्य वाद के विचाराधीन रहते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ चुका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार हीरा के समस्त विधिक वारिसान एवं कायम मुकामान को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाकर तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार हीरा के समस्त विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार कायम किए बिना एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 01.02.2023 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 4/2022 में पारित निर्णय 01.02.2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलांटगण को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा